(78)

II/निग0/रीवा/2018/01029

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंण्डल ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा म॰ प्र॰

1:- दुलारे पिता शिवदत्त तेली निवासी ग्राम मनिकवार तहसील रायपुर कर्चुलियान जिला रीवा (म0 प्र0) -------- पुर्नरीक्षणकर्ता

बनाम

शासन म0 प्र0 -------- गैर पुर्नरीक्षणकर्ता

अधि0 श्री मुदिका प्रसाद किशवानी द्वारा पेश दि. 09.2.2018

क्लर्क आफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म॰ प्र॰
(सर्किट कोर्ट) रीवा

पुर्नरीक्षण विरूद्ध आदेश न्यायालय श्रीमान् नायब तहसीलदार महोदय तहसील रायपुर कर्चुलियान जिला रीवा द्वारा राजस्व प्र॰ कमांक 09 /अ-9 /17-018 मे पारित आदेश दिनांक 11-12-1017

पुर्नरीक्षण अन्तर्गत धारा 50 म0 प्र0 भू0 रा0 संहिता 1959 ई0।

मान्यवर,

पुर्नरीक्षण के आधार निम्नलिखित है :-

1- यह कि अधीनस्थ न्यायालय श्रीमान् नायब तहसीलदार महोदय तहसील रायपुर कर्चुलियान जिला रीवा द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांक 11-12-17 विधि व प्रक्रिया के विपरीत होने से निरस्त किए जाने योग्य है ।

2- यह कि अधी0 न्यायालय के समक्ष पुर्नरीक्षण कर्ता द्वारा नक्शा

(78)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक II/निग./18/1029 जिला– रीवा

दुलारे तेली विरूद्ध शासन (म.प्र.)

(1)	(2)	(3)
18-12-18	1. आवेदक की ओर से श्री मुद्रिका प्रसाद विश्वकर्मा अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी ~~तहसीलदार~~/ नायब तहसीलदार/ ~~राजस्व निरीक्षक~~, तहसील रायपुर कर्चु. के प्रकरण क्रमांक 09/अ-9/17-18 में पारित आदेश दिनांक 11.12.17 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता मैं दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 6-3-19 को कलेक्टर रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो। [signature] सदस्य	

2– यह कि ...